पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका : व्यावहारिक समस्याएँ

लालेश गुर्जर[1, *], प्रो. डॉ. कुसुम भदौरिया[2]

[1]शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), एम.एल.बी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
[2]विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान), एम.एल.बी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

https://doi.org/10.64175/wjmr.vol.2.issue12.5

Article Info

Keywords:
- *पंचायतीराज व्यवस्था*
- *73वाँ संवैधानिक संशोधन*
- *महिला आरक्षण*
- *लैंगिक भेदभाव*
- *सामाजिक परिप्रेक्ष्य*
- *आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण*
- *पितृसत्तात्मकता।*

Abstract

विश्व में लिंग आधारित भेदभाव का एक लंबा एवं आलोचनात्मक इतिहास रहा है। इसके साक्ष्य, घटनाएं एवं वैचारिक मतभेद 21वीं सदी में भी देखे जा सकते हैं। भारत में लिंग आधारित भेदभाव सदैव विचारणीय रहा है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्थाएं निरंतर प्रयासरत रहीं है। महिलाओं को निर्णायक भूमिका में रहने के लिए सरकार को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती रही है। भारत की 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। पंचायती राज व्यवस्था सीधी तौर पर ग्रामीण संरचना को प्रभावित करती है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन राजनीति, प्रशासन एवं निर्णय निर्माण में उनकी भागीदारी नाम के बराबर होती है। ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी के भीतर सीमित कर दिया गया। उनकी ग्रामीण राजनीति में भूमिका सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की कम से कम 33% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। (कुछ राज्यों में 50%) परंतु महिलाओं की नेतृत्व की समस्या भारत में नीतिगत ना होकर व्यावहारिक समस्या है। जो की सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक शैक्षणिक, एवं धार्मिक तौर पर हमारे समक्ष प्रकट होती है। यह समस्या इन सभी क्षेत्रों की महिलाओं की प्रति दृष्टिकोण की समस्या है।

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन किया गया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं सुरक्षा सम्मान के पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावन

“महिलायें आधा आसमान संभाले हुए हैं”

माओ त्से तुंग

विश्व की कुल आबादी का आधा भाग महिलाओं का है। सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता उल्लेख दिया रही है। किंतु राजनीति एवं प्रशासनिक नेतृत्व में उनकी भागीदारी आज भी 30 प्रतिशत से कम है। जिसका कारण फीलिंग आधारित भेदभाव रहा है। महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता की लड़ाई प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में 21वीं सदी तक जारी है। भारत में लिंग आधारित भेदभाव का कारण सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण है। जिसमें परिवर्तन के लिए सरकार संवैधानिक तौर पर

समय-समय पर प्रयासरत रही है। सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यापक एवं ऐतिहासिक क्रांति की नींव रखी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह ऐतिहासिक प्रयोग राजनीतिक तंत्र में महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। जो कि नीतिगत रूप से महिलाओं को नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान करता है।

भारत में सामाजिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही है। जिसमें महिलाओं की स्थिति को सुदृड़ के लिए कोई संरचनात्मक सुधार नहीं किया गया। जिसके कारण महिलायें पितृसत्तात्मकता, परिवारवाद, अशिक्षा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, शोषण इत्यादि क्रूरताओं का लंबे समय से शिकार रहीं। जिससे उनकी नेतृत्व, क्षमता एवं प्रभुत्व स्वीकार करना पुरुषप्रधान समाज के लिए एक चुनौती रहा। महिलाओं को जागरूक बनाने और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिणीक स्थिति में सुधार के लिए पंचायतीराज अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होता है। पंचायती राज सीधे तौर पर ग्रामीण संरचना को प्रभावित करता है। जिससे ग्रामीण महिलाओं को पंचायत में निर्वाचित होने पर उन्हें अपनी क्षमता एवं नेतृत्व का परिचय देने का अवसर प्राप्त होता है। महिलाओं के नेतृत्व को समर्थन करने के लिए सरकार संविधानिक तौर पर निरंतर प्रयासरत रही है।

शोध पत्र के उद्देश्य

1. 73वाँ संवैधानिक संशोधन, 1993 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण का अध्ययन करना।
2. पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक अध्ययन करना।
3. पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व में चुनौतीपूर्ण समस्याओं का अवलोकन करना।
4. पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अवसरों का अध्ययन करना।

शोधविधि

शोध पत्र की विधि विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक एवं अवलोकनात्मक है। जिसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त आँकडों का संकलन कर विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत में साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर आँकड़ों को प्राप्त किया गया है एवं द्वितीयक स्त्रोत में विभिन्न वेबसाइट, समाचार पत्र, पुस्तकों एवं शोध पत्र, पत्रिकाओं का अध्ययन शामिल किया गया है।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992

भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके तहत संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों से संबंधित 29 विषय इसमें सम्मिलित है। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को प्रति वर्ष पंचायतीराज दिवस मनाया जाता है। पंचायतें मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती हैं क्योंकि "स्थानीय सरकार" राज्य का विषय है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित कार्य राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत होता है। इसकी संरचना विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय इत्यादि। यह राज्य स्वायत्ता का विषय है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। पंचायतीराज अधिनियम में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुच्छेद 243 I के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई।

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था का उद्देश्य लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सबसे निचले स्तर पर राजनीति में नागरिक भागीदारी एवं नेतृत्व को सुनिश्चित करना है। पंचायतीराज व्यवस्था का सीधा उद्देश्य विकेन्द्रीकरण के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। पंचायतीराज व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ जनता सीधे अपने मुखिया का चुनाव करती है। पंचायती राज का मतलब है गाँव स्तर पर जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। पंचायतों के चुनाव का संचालन अनुच्छेद 243 K राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है

पंचायतीराज व्यवस्था में महिला आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के नागरिकों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है। सभी पंचायत संस्थाओं में एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। जिससे महिलाओं में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति, एवं राजनैतिक भागीदारी का सूत्रपात हुआ है। महिलाओं की इस भूमिका से उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक स्थिति में सुधार आया है।

महिलाओं के नेतृत्व की व्यावहारिक समस्याएँ

सामाजिक दृष्टिकोण - सैद्धांतिक रूप से तो महिलाओं को भारतीय समाज में प्रथम दर्जा प्रदान किया जाता है, परंतु व्यावहारिक रूप में भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है जिसमें महिलाओं को सदैव दोयम दर्जा प्रदान किया जाता रहा है। इसलिए सरकार की मंशा यह रहती है कि सरकारी योजनाओं, आरक्षण एवं अन्य जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा प्रदान किया जा सके। जिसका सीधा उदाहरण पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करना है। परंतु समाज महिला नेतृत्व स्वीकार करने में आज भी असहज महसूस करता है। यह एक दृष्टिकोण की समस्या है, जो की संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है। एक कमजोर पंचायत मजबूत महिला को भी कमजोर बना सकती है। जिससे महिला सशक्तिकरण की धारणा यहाँ अपूर्ण साबित होती है।

पितृसत्तात्मकता - भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ परिवार में पितृसत्तात्मकता व्यवस्था का वर्चस्व रहता है। परिवार से समाज, समाज से गाँव, गाँव से राष्ट्र का निर्माण होता है। पितृसत्तात्मकता के कारण पंचायतों में महिला प्रतिनिधि चुने जाने के बाद भी उनके स्थान पर अनौपचारिक रूप में उनके परिवार के पुरुष नेतृत्व संभालते है। जो कि महिला नेतृत्व को सीधे तौर पर चुनौती प्रदान करते है। यदि कोई महिला सरपंच बहुत प्रभावशाली है, आत्मविश्वास और क्षमता से परिपूर्ण है तो उसके खिलाफ पितृसत्तात्मकता मानसिकता से पीड़ित समाज उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पंचायत से बेदखल करने का प्रयास किया जाता है। यह महिलाओं की गरिमा एवं आत्मसम्मान पर सीधे तौर पर प्रहार करने जैसा है, जो कि एक व्यावहारिक समस्या है। हाल ही के कुछ वर्षों में पुरुष मानसिकता में लैंगिक भेदभाव को लेकर कुछ सकारात्मक बदलाव आया है, परंतु ग्रामीण परिवेश में यह अभी भी महिला नेतृत्व में चुनौती है।

शिक्षा संबंधी समस्या - वर्तमान युग तकनीकी का युग है। महिलाओं की शिक्षा भारतीय समाज में एक विचारणीय मुद्दा रहा है। सैद्धांतिक तौर पर यह शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसके लिए सरकार के प्रयास सराहनीय है। महिला शिक्षा का मुद्दा सरकार से ज्यादा परिवार और समाज का है, भारतीय समाज महिला शिक्षा को लेकर क्रांति के दौर में ही रहा। महिलाओं को शिक्षा के लिए भी लड़ाई ही करनी पड़ती रही। जो की महिला नेतृत्व में सबसे बड़ा चुनौती का मुद्दा रहा है, और वर्तमान में भी है। पंचायती व्यवस्था भी तकनीक से सीधे तौर पर जुड़ गई है, एवं ज्यादातर कार्य तकनीक के माध्यम से ही किए जा रहे है। जिसके लिए महिलाओं को अपना शिक्षा का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए यह एक सामाजिक एवं प्रशासनिक समस्या है।

आर्थिक कारण - महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव रहता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवारों के पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। यदि महिला कामकाजी है तो भी वे अपनी आय को व्यय करने में स्वतंत्र नहीं होतीं, कुछ समय पहले तक तो महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था। स्वयं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना होने के कारण महिलाएं अपना स्वयं का व्यय करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपने पिता या पति पर आश्रित होतीं हैं। आर्थिक रूप से पराश्रितता के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास का अभाव रहता है।

पंचायतों में महिला नेतृत्व सशक्त करने के प्रयास

संवैधानिक प्रयास - संविधान का अनुछेद 15 लिंग आधारित भेदभाव को राज्य के विरुद्ध भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य को यह निर्देशित किया जाता है कि सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं के लिए समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण, धन का संकेन्द्रण रोकना, और बच्चों के स्वास्थ्यपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अनुच्छेद 243D के तहत आरक्षण प्रदान करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम,2023 के माध्यम से महिलाओं के लिए लोकसभा, दिल्ली और विधानसभा में एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

प्रशासनिक प्रयास - पंचायती राज मंत्रालय महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व की मुद्दों पर कार्यशाला सम्मेलन समितियां और विशेषज्ञ समूह की श्रृंखला के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों को आत्मनिर्भर बनाने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्यरत है। कार्यशाला और संवादों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों एवं विशेषज्ञ समूह द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर राज्य अपनी पंचायत में सुधार कर उन्हें जनहितकारी बनाने का प्रयास करते हैं। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयास राज्य द्वारा किए जाते हैं इसके अतिरिक्त क्षमता विकास नेतृत्वकारी भूमिकाओं के उचित निर्माण महिला भागीदारी को प्रोत्साहित भी राज्य के द्वारा किया जाता है।

तकनीकी प्रयास - पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज, दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन के लिए उनका डिजिटलीकरण किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के लिए ग्राम स्वराज नामक एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सरपंचों और पंचों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। मीडिया प्लेटफॉर्म महिला प्रतिनिधियों को जनता से सीधे संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है जिसमें पितृसत्तात्मकता व्यवस्था रही है। जिसके कारण निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के पास होती है, और महिलाओं की भूमिका सीमित या अधीन मानी जाती है। ऐसे समाज में महिलाओं के लिए नेतृत्व करना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से एक व्यावहारिक समस्या को प्रदर्शित करता है। महिला नेतृत्व को लेकर समाज का दृष्टिकोण सदैव उदासीन रहा है जिसे सामाजिक एवं राजनैतिक सुधारों के माध्यम से ही संभव हो सकती है। सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम में महिलाओं के आरक्षण से संबंधी प्रावधान के माध्यम से यह स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है जो कि एक ऐतिहासिक कदम साबित होता है। पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है, जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। इसलिए महिलाओं से संबंधित व्यावहारिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणीक समस्याओं का समाधान करने से उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए सरकार पंचायतीराज व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट आयाम मानती है जो कि एक सैद्धांतिक के साथ एक व्यावहारिक प्रयोग है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, ब. (2010). महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. सिंह, शशिकांत. (2012). भारत में पंचायती राज व्यवस्था. नई दिल्ली: पीयरसन एजुकेशन।
3. जैन, देवेंद्र. (2015). स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
4. देसाई, म. (2007). Women and Political Participation in India. New Delhi: Kanishka Publishers.
5. बर्डन, जे. (2014). Gender and Governance in India. New Delhi: Sage Publications.
6. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409–1443.
7. Sudha Pai. (2001). Panchayati Raj Institutions and Women's Empowerment. Economic and Political Weekly, 36(40), 3683–3689.
8. भारत सरकार. (1992). 73वां संविधान संशोधन अधिनियम. नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. Ministry of Panchayati Raj. (2018). Status of Women in Panchayati Raj Institutions. New Delhi: Government of India.
10. Planning Commission of India. (2011). Women Empowerment and Governance. New Delhi.
11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2020). Women Participation in Local Governance. भारत सरकार।